[1/2]

एमएमटीसी लिमिटेड: कॉर्पोरेट कार्यालय: नई दिल्ली
सतर्कता प्रभाग

फ..सं.10/348/25-सत./576 दिनांक: 12 अगस्त, 2025

परिपत्र

विषय: निवारक सतर्कता उपायों पर जोर देने के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2025 का पालन: स.जा.स. 2025 के अग्रदूत के रूप में 3 महीने का अभियान (18 अगस्त, 2025 से 17 नवंबर, 2025) तत्संबंधी।

संदर्भ: के.स.आ. का सतर्कता जागरूकता पर दिनांक 01.08.2025 का परिपत्र संख्या 04/08/25

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अपने परिपत्र संख्या 04/08/25 दिनांक 01.08.2025 (अनुलग्नक- I) के माध्यम से 27 अक्टूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक **"सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी"** विषय के तहत सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025 (स.जा.स.-2025) मनाने के लिए सूचित किया है। जागरूकता पैदा करने और अखंडता बनाए रखने के लिए सभी की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। आयोग ने सभी संगठनों को निवारक सतर्कता पर 18.08.2025 से 17.11.2025 तक तीन महीने की अभियान अवधि शुरू करने की भी सलाह दी है। तदनुसार, कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी प्रभाग प्रमुखों और सभी कैंप कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि वे **के.स.आ.** द्वारा निर्धारित गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर भागीदारी सुनिश्चित करें और 3 महीने के अभियान के दौरान किए गए कार्यों पर रिपोर्ट सतर्कता प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय को प्रस्तुत करें।

2. प्रभागों की जिम्मेदारियाँ:

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार 03 महीने के अभियान (18.08.2025 से 17.11.2025) के दौरान किए गए निवारक सतर्कता प्रयासों के परिणाम को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय और कैंप कार्यालयों में संबंधित प्रभागों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां बिनाचूक के किया जाना हैं:

क्रम सं.	**सीवीसी द्वारा निर्धारित फोकस क्षेत्र**	**द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ**
i)	लंबित शिकायतों का निस्तारण	कार्मिक प्रभाग और सतर्कता प्रभाग
Ii)	विजिलेंस के लंबित मामलों का निपटारा	सतर्कता प्रभाग
iii)	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	सतर्कता प्रभाग
iv)	परिसंपत्ति प्रबंधन	संपदा, प्रशासन एवं सतर्कता प्रभाग
v)	डिजिटल पहल	सिस्टम प्रभाग एवं सतर्कता प्रभाग

3. कार्य योजना:

03 महीने की अभियान के दौरान संलग्न कार्य योजना अनुलग्नक-II पर संलग्न कार्य योजना (जैसा कि लागू हो) के अनुसार, कॉर्पोरेट कार्यालय और कैंप कार्यालय प्रमुखों के सभी प्रभाग प्रमुखों द्वारा

पहल की जाए। कैंप कार्यालय भी यथासंभव इसी तर्ज पर अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय और कैंप कार्यालयों के सतर्कता अधिकारी (वीओ) वहाँ की जा रही गतिविधियों की प्रगति पर निगरानी रखें और स.जा.स.-2025 के तहत इसके सक्रिय अनुपालन को सुनिश्चित करें।

4. **आईजीओटी** - कर्मचारियों द्वारा 3 महीने की अभियान अवधि के दौरान आईजीओटी प्लैटफ़ार्म के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम ऑनलाइन प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम का अलग परिपत्र जारी किए जाएंगे।

5. संबंधित प्रभागों द्वारा किए गए कार्यों की सभी रिपोर्टें सहायक दस्तावेजों सहित, सतर्कता प्रभाग, कार्पोरेट कार्यालय को 20.11.2025 तक प्रस्तुत की जाए।

6. यह सीवीसी द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य अनुपालन है। इसलिए सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि बिना किसी चूक के उक्त अनुपालन सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(वी.एस.एन. राव)
महाप्रबंधक (सतर्कता)

संलग्नक
(i) सीवीसी का परिपत्र सं. 04/08/25 दिनांक 01.08.2025 - अनुलग्नक- ।
(ii)कार्य योजना - अनुलग्नक-॥

सतर्कता विभाग एम एम टी सी लिमिटेड

प्रति:
1. सीएमडी का का.स.,एमएमटीसी लिमिटेड।
2. सीवीओ के निजी सचिव/निदेशक (वित्त) अतिरिक्त प्रभार, एमएमटीसी ।
3. का.का. के सभी प्रभाग प्रमुख एवं सभी कैम्प कार्यालय प्रमुख।
4. एजीएम (सिस्टम) - सर्कुलर को इंट्रानेट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
5. नोटिस बोर्ड्स।